# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 2007/2007/सीकर.**

मैसर्स सत्यनारायण श्रीराम, बावड़ी गेट, सीकर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापबंचन, वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 08/11/2017**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अंपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 55/आरएसटी/सीकर/2005–06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.4.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिरो आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 29.07.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 11.04.2002 को किया गया। व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध माल व स्टॉक की जांच की जाने पर मौके पर रूपये 3,29,796/– का किराणा सामान, रूपये 1,15,898/– का स्टेशनरी व आयुर्वेदिक दवाईयां एवं रूपये 3311/– का एरियेटेड वाटर घोषित स्टॉक से कम पाया गया। इसके अतिरिक्त रूपये 2,87,112/– का पान मसाला घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया। उक्त कम/ज्यादा पाये गये माल के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 28, 58, 65 व 77(8) के तहत आदेश दिनांक 27.03.2003 पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति के रूप में कुल रूपये 1,69,435/– की मांग कायम की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.11.2003 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः आदेश पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुनः आदेश दिनांक 29.3.2005 पारित करते हुए पूर्व आदेश को यथावत रखते हुए कुल मांग रूपये

**लगातार.....2**

1,79,689/— की मांग सृजित की गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.04.2007 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त सर्वेक्षण स्टॉक उचित प्रकार से नहीं लिया गया एवं माल कम/ज्यादा अंकित करते हुए आदेश पारित कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर आदेश पारित किया गया है एवं अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के अविधिक आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी की मौजूदगी में फर्म का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें माल कम/ज्यादा पाया गया था। इस बाबत् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में भी व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु व्यवहारी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, ना ही कम/ज्यादा माल का अपनी लेखा—पुस्तकों से सत्यापन कराया गया है ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें किराणा सामान, स्टेशनरी, आयुर्वेदिक दवाईयां, जड़ी बूटियां एवं एरियेटेड वाटर घोषित स्टॉक से कम पाये गये थे। इसके अतिरिक्त पान मसाला घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया। इस

लगातार.....3

बाबत् कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त माल का स्टॉक से मिलान हो सके अथवा उसकी विधि अनुसार खरीद बिक्री प्रमाणित हो सके। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश में व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने बाबत् निर्देश दिये गये थे। अपीलीय अधिकारी के आदेशों के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को पुनः नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पुनः कोई युक्तियुक्त आधार/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कम/ज्यादा पाये गये माल का सत्यापन हो सके। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 18.04.2007 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

8/11/2017

( के. एल. जैन )
सदस्य